डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
Civil Procedure Code] AppendiÛ D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर
व इजलास श्री सुनील आर्य (आर०ए०एस०)

अपील सख्या:– 07/2021 (223 आर० टी० एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2021/68

उनवान

1. युवराज गोपाल कमठान उर्फ सुनील कमठान पुत्र स्व0 श्री जयगोपाल कमठान जाति कायस्थ निवासी गोपाल निवास पटपरा धौलपुर।
2. सुधीर गोपाल कमठान उर्फ पिल्लू पुत्र स्व0 श्री जयगोपाल कमठान जाति कायस्थ निवासी गोपाल निवास पटपरा धौलपुर मंदबुद्धि जरिये वादमित्र भाई युवराज गोपाल कमठान उर्फ सुनील कमठान पुत्र स्व0 श्री जयगोपाल कमठान जाति कायस्थ निवासी गोपाल निवास पटपरा धौलपुर।

..................अपीलांट।

बनाम

1. गिरीश कुमार गर्ग पुत्र श्री दाताराम जाति वैश्य निवासी संतर रोड धौलपुर।
2. राजकुमार गर्ग पुत्र श्री दाताराम गर्ग जाति वैश्य निवासी गर्ग आटोमोबाइल गुलाब बाग धौलपुर
3. हरिओम पुत्र अनार सिंह जाति ठाकुर निवासी गौशाला कालोनी धौलपुर।
4. नरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू जाट पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी शारदा विहार कालोनी औंडेला रोड जिरौली धौलपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

................................रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया० उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दि० 06.03.2020 प्र.सं. 64/19 उनवानी युवराज गोपाल बनाम गिरीश कुमार गर्ग।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक **श्री निशान्त भार्गव** उपस्थित व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री हरवीर सिंह मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक **06.03.2020** के आदेश यथावत रखे जाते है। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **03** माह **01** सन् **2025** को जारी की गई।

मुहर (भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर (राज.))

दस्तखत...
भू प्रबन्ध अधिकारी
ओहदा
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जिदावा			स्टाम्प अर्जिदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहज सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दी, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

मोहर

दस्तखत...

औहदा

पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 07/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/68

उनवान

1. युवराज गोपाल कमठान उर्फ सुनील कमठान पुत्र स्व0 श्री जयगोपाल कमठान जाति कायस्थ उम्र करीब 59 वर्ष निवासी गोपाल निवास पटपटरा धौलपुर।
2. सुधीर गोपाल कमठान उर्फ पिल्लू पुत्र स्व0 श्री जयगोपाल कमठान जाति कायस्थ उम्र करीब 66 वर्ष निवासी गोपाल निवास पटपरा धौलपुर मंदबुद्धि जरिये वादमित्र भाई युवराज गोपाल उर्फ सुनील कमठान जाति कायस्थ निवासी गोपाल निवास पटपरा धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गिरीश कुमार गर्ग पुत्र श्री दाताराम जाति वैश्य निवासी संतर रोड धौलपुर।
2. राजकुमार गर्ग पुत्र श्री दाताराम गर्ग जाति वैश्य निवासी गर्ग ऑटोमोबाईल गुलाब बाग धौलपुर।
3. हरिओम पुत्र अनार सिंह जाति ठाकुर निवासी गौशाला कालोनी धौलपुर।
4. नरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू जाट पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी शारदा विहार कौलोनी औंडेला रोड जिरौली धौलपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 06.03.2020 मि.नं. 64/19 उनवानी युवराज गोपाल बनाम गिरीश कुमार गर्ग।

अभिभाषकगण :–

1. श्री निशान्त भार्गव वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री हरवीर सिंह वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक–03.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित कस्बा धौलपुर के खातेदार वादीगण अपीलाण्ट के पिता जयगोपाल थे। उनके निधन के बाद विवादित अराजीयात उनके पुत्रगणो बृजगोपाल, सुधीर गोपाल, युवराज गोपाल, अनिल कमठान एवं पुत्रियॉ कुसुम, पदम, रजनी, गीता व ममता पर प्रकांत हुयी। अर्थात वह प्रत्येक 1/9–1/9 भाग के खातेदार हुये। वादी अपीलाण्ट संख्या 02 जन्म से ही मंदबुद्धि है तथा उसमें सोचने व विचार करने की क्षमता नहीं है। वह वादी अपीलाण्ट संख्या 01 के साथ ही रहता है तथा उसी पर पूर्ण रूप से निर्भर है। अतः वाद वादी अपीलाण्ट संख्या 02 के वाद मित्र की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 ने सांठ–गांठ कर वादी अपीलाण्ट संख्या 02 के 1/9 भाग का वयनामा अपने नाम करा लिया, जो प्रारम्भ से ही शून्य है। बृजगोपाल, अनिल कमठान एवं पुत्रियॉ कुसुम, पदम, रजनी, गीता व ममता ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण रैस्पो0 01 लगायत 04 को कर दिया है। जिस बाबत उन्हें कोई उज्र नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा तथा विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2020 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. दौराने बहस अभिभाषक रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 प्रस्तुत करते हुये, दस्तावेजो को ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। प्रति अपीलाण्ट को दिलायी गयी। चूंकि दस्तावेज प्रकरण में विवादित आराजी से संबंधित हैं एवं प्रकरण का निस्तारण करने में सहायक हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर कतई गौर नहीं किया कि रैस्पो0 को प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं था। रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यो का उल्लेख किया है वह बिना दस्तावेजी साक्ष्य तय नहीं हो सकते। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र से वादी अपीलाण्ट संख्या 02 जन्म से ही मंदबुद्धि है। अतः उसके द्वारा जो वयनामा कराया गया है। वह शुरू से ही शून्य है। इस प्रकार उसे सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। यह है कि विवादित आराजी का विक्रय उनके समस्त खातेदारान द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है, ना कि अपीलाण्ट संख्या 02 अकेले द्वारा किया गया है। विवादित आराजी की पूरी कीमत रैस्पो0 द्वारा जरिये चैक, आर.टी.जी.एस, नगद आदि द्वारा किया गया है। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में नगर परिषद धौलपुर के नाम दर्ज है। इसलिये भी दावा सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके अलावा जो वयनामा तहरीर हुआ है। अपीलाण्ट ने उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया है। बिना वयनामा निरस्त कराये अपीलाण्ट को विवादित आराजी में कोई स्वत्व नहीं रह जाता है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त ना होकर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018(1) पेज 534, डीएनजे 2017(1) पेज 1 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलाण्ट संख्या 01, वादी अपीलाण्ट संख्या 02 के वाद मित्र के रूप में वादी अपीलाण्ट संख्या 02 को मंदबुद्धि बताते हुये दावा प्रस्तुत किया जाकर वादी अपीलाण्ट संख्या 02 के द्वारा कराया गये वयनामा को नल एण्ड वॉइड घोषित करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम तो विवादित आराजी वर्तमान में नगर परिषद धौलपुर के नाम दर्ज है। अर्थात विवादित आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। अतः राजस्व न्यायालय को विवादित आराजी बाबत् वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा। द्वितिय वादी अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 एवं शेष खातेदारान द्वारा इकरारनामा किया है उस पर सभी खातेदारान के हस्ताक्षर हैं। उक्त इकरारनामा में अपीलाण्ट संख्या 02 को मंदबुद्धि नहीं बताया गया है। इसके अलावा अपीलाण्ट संख्या 02 द्वारा किया गया विक्रय पत्र पंजीकृत दस्तावेज है एवं उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचता है। वादी अपीलाण्ट संख्या 01 द्वारा रैस्पो0 को ही अपने हिस्से की आराजी का विक्रय किया है। परन्तु वाद पत्र में अपने व अन्य सहखातेदारो द्वारा विक्रय पर कोई उज्र ना लेकर केवल अपीलाण्ट संख्या 02 द्वारा किये गये वयनामा बाबत् आपत्ति ली गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से वयनामा में तय राशि अपीलाण्ट द्वारा प्राप्त करना स्पष्ट जाहिर है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत ना करते हुये तथ्यों को छुपाते हुये प्रस्तुत किया है। जिसे अधीनस्थ

न्यायालय ने उचित रूप से विधि से बाधित मानते हुये, खारिज किया है। जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2020 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर